न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

R. 5206-दो/15

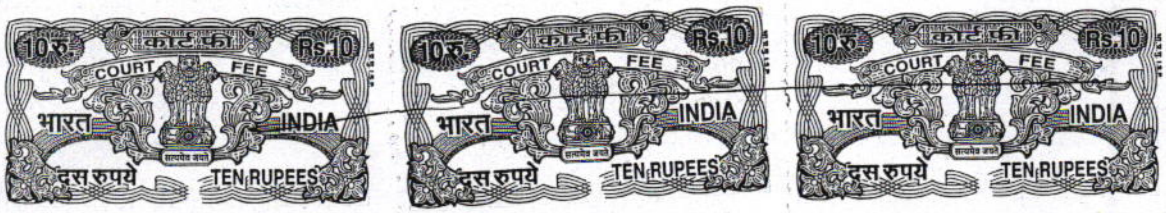

Rs.30/-

1- रणमदन सिंह,

2- संपत सिंह

दोनों के पिता स्व० रंगदेव सिंह, दोनों निवासीगण ग्राम चांपालकोठार पथ तह० गोपदबनास जिला सीधी म०प्र०

------पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1- राजेश पनिका तनय नंदलाल पनिका

2- विवेक पनिका तनय रामशरण पनिका, दोनों निवासी ग्राम सम्हे वाडी टोला, तहसील गोपदबनास जिला सीधी म०प्र० ------ गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री राकेश तिवारी एड० के द्वारा आज दिनांक 7-12-15 को प्रस्तुत किया गया।

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र० 1039/ अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन 1959 ई०

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

यह कि ग्राम वाडी टोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी स्थित आ० खसरा क्र० पुराना 18/2 रकबा 5-00ए० पुनरीक्षणकर्तागण की पैत्रिक भूमि है,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 5206-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. आवेदक ने यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा के आदेश दि १६-११-११ के विरुद्ध दि ७-१२-१५ को रा मं में प्रस्तुत की है, जो कि विलम्ब से प्रस्तुत है. विलम्ब का कारण अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी तब मिलना बताया है जब आवेदक को उसके आधार पर माह सितम्बर, २०१५ में खेती से रोका गया. प्रकरण के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि वाद गैरनिगराकार राजेश द्वारा वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दि २८-६-१० से नामांतरण कराए जाने से सम्बंधित है जिसमे नायब तहसीलदार का यह आदेश, अनु अधि का प्रथम अपीलीय आदेश दि १६-५-११ और अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश विस्तृत हैं और स्पष्ट निष्कर्षों के साथ बोलते स्वरुप में पारित हैं. इन सभी आदेशों के समवर्ती निष्कर्ष भी हैं. आवेदक द्वारा रा मं में निगरानी के विलम्ब के कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. उन्होंने केवल यह लिखा और तर्क में कहा है कि उन्हें अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश की जानकारी तब मिली जब उन्हें माह सितम्बर, २०१५ में खेती से रोका गया. जबकि आवेदक स्वयं प्रथम और द्वितीय अपीलों में आवेदक अपीलार्थी थे, तो उन्हें आदेशों की समय पर जानकारी नहीं रही हो, प्रथमदृष्टया मान्य किये जाने योग्य नहीं है. अपर आयुक्त के आदेश दि १६-११-११ से सितम्बर, २०१५ के मध्य ३ वर्ष, ९ माह से अधिक का विलम्ब है, जो अत्यधिक है. अपेक्षा यही है कि प्रतिदिन के विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाए, किन्तु यहाँ मोटे तौर पर भी इतने लम्बे विलम्ब के कारण ठोस नहीं हैं. ऐसे में, विलम्ब के कारण ठोस और स्पष्ट नहीं होने, और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष स्पष्ट और समवर्ती होने के प्रकाश	

में, मेरा मानना है कि यदि इस निगरानी में विलम्ब को माफ़ करके इसे ग्राह्य किया जाता है तो अनावेदक पक्ष को अनावश्यक न्यायिक वाद का सामना करने का श्रम एवं वित्ते भर झेलना पड़ेगा, जो कि न्यायोचित नहीं होगा.

अतः, उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं इस प्रकरण को ग्राह्यता-योग्य नहीं पाता हूँ.

अतः, यह प्रकरण अग्राह्य कर रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य